


DISH DOCTOR



Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.

Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing, 3rd Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or

Email: manoj.madhavan@nm-india.com. Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Queries To: +91-91082 32956

INFRASTRUCTURE SHARING

Q: Please elaborate on the Infrastructure sharing as suggested by TRAI.

*Preetam Dasgupta, New Delhi,
Cable TV Consultant*

Ans.: Infrastructure sharing in the TV broadcasting network involves collaborative efforts among competitors to share resources for faster expansion and cost reduction in delivering broadcasting services to subscribers. This approach allows service providers to invest in new technologies and improve service quality. The decisions regarding infrastructure sharing are typically driven by commercial considerations rather than being mandated.

In TV broadcasting distribution networks, infrastructure sharing can take various forms. One approach involves multiple Distribution Platform Operators (DPOs) collaborating voluntarily to provide TV broadcasting services to consumers. Another approach entails one DPO establishing, operating, and maintaining the distribution network, while another DPO delivers services to its subscribers using the former's network on a pay-per-use basis. This sharing can lower the cost per subscriber, accelerate geographical service expansion, and bridge the rural-urban



इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग

प्रश्न: कृपया ट्राई द्वारा सुझाये गये इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के बारे में विस्तार से बतायें।

*प्रीतम दासगुप्ता, नयी दिल्ली,
केबल टीवी सलाहकार*

उत्तर: टीवी प्रसारण नेटवर्क में बुनियादी ढांचे को साझा करने में ग्राहकों को प्रसारण सेवायें प्रदान करने में तेजी से विस्तार और लागत में कमी के लिए संसाधनों को साझा करने के लिए प्रतिस्पर्धियों के बीच सहयोगात्मक प्रयास शामिल है। यह दृष्टिकोण सेवा प्रदाताओं को नयी प्रौद्योगिकियों में निवेश करने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने की अनुमति देता है। बुनियादी ढांचे के बंटवारे से संबंधित निर्णय आमतौर पर अनिवार्य होने के बजाय व्यावसायिक विचारों से प्रेरित होते हैं।

टीवी प्रसारण वितरण नेटवर्क में बुनियादी ढांचे की साझेदारी विभिन्न रूप ले सकती है। एक दृष्टिकोण में उपभोक्ताओं को टीवी प्रसारण सेवायें प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से सहयोग करने वाले कई वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) शामिल हैं। एक अन्य दृष्टिकोण में एक डीपीओ को वितरण नेटवर्क की स्थापना, संचालन और रखरखाव

करना शामिल है, जबकि दूसरा डीपीओ भुगतान प्रति उपयोग के आधार पर पूर्व के नेटवर्क का उपयोग करके अपने ग्राहकों को सेवायें प्रदान करता है। यह साझाकरण प्रति ग्राहक लागत को कम कर सकता है, भौगोलिक सेवा विस्तार में तेजी ला सकता है और ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को पाट सकता है। इसी तरह बुनियादी ढांचे को साझा करने के

digital divide. Similar infrastructure sharing opportunities exist in digital media platforms, particularly in cloud hosting, security, and digital rights management.

TRAI's recommendations on 'Sharing of Infrastructure in Television Broadcasting Distribution Sector' dated March 29, 2017, led to amendments in guidelines by the Ministry of Information and Broadcasting (MIB), enabling infrastructure sharing:

Sharing of infrastructure among HITS operators and between HITS operators and Multi-System Operators (MSOs) has been allowed through an MIB Order dated November 6, 2020, amending the 'HITS Guidelines for Broadcasting Service in India' dated November 26, 2009.

Sharing of infrastructure by Direct-to-Home (DTH) operators has been permitted through an MIB Order dated December 30, 2020, amending the 'Guidelines for obtaining License for providing DTH Broadcasting Services in India' dated March 15, 2001, and as amended. Sharing of infrastructure among MSOs has been authorized through an MIB Order dated December 29, 2021, via the 'Guidelines for sharing of infrastructure by Multi-System Operators.' ■

अवसर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों में मौजूद हैं, खासकर क्लाउड होस्टिंग, सुरक्षा और डिजिटल अधिकार प्रबंधन में।

29 मार्च 2017 को टेलीविजन प्रसारण वितरण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की साझेदारी पर ट्राई की सिफारिशों के कारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईवी) द्वारा दिशा निर्देश में संशोधन किया गया, जिससे बुनियादी ढांचे को साझा करना संभव हो गयाः

26 नवंबर 2009 को 'भारत में प्रसारण सेवा के लिए हिट्स दिशानिर्देश में संशोधन करते हुए **6 नवंबर 2020** के एक एमआईवी आदेश के माध्यम से हिट्स ऑपरेटरों और हिट्स ऑपरेटरों के बीच और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति दी गयी।

डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति **30 सितंबर 2020** के एक एमआईवी आदेश के माध्यम से दी गयी है जिसमें **15 मार्च 2001** के 'भारत में डीटीएच प्रसारण सेवायें प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।

एमएसओ के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने को **29 दिसंबर 2021** के एमआईवी आदेश के माध्यम से 'मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए दिशानिर्देश' के माध्यम से अधिकृत किया गया है। ■

